डा० दिनेश सिंह यादव (असि०प्रोफेसर बी०एड० विभाग)

दिनांक
7/5/2020

बी०एड० प्रथम वर्ष (2019-2021)

पेपर – पाठ्यक्रम में भाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ("NPE-1986")

National Education Policy-1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का सामान्य परिचय :-

(National Education Policy-1986) (Introduction)

युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की माँगों को पूरा करने में असमर्थ है। इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और पुनर्गठन होना चाहिए। परन्तु इस बार न तो किसी आयोग का गठन किया और न ही किसी समिति का।

सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education : A Policy Perspective) नाम से अगस्त 1985 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण एवं दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुँचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरु की। सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन-1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना (Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का दस्तावेज:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। जिसका वर्णन (संक्षेप) निम्न है:-

(1) प्रथम भाग: भूमिका (Introductory)

में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सभी प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश में आवश्यकतानुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। परम्परागत मूल्यों में ह्रास हुआ है और लोकतन्त्रीय मूल्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इनके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

द्वितीय भाग: शिक्षा का सार और उसकी भूमिका:- यह स्वीकार किया गया है कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है। जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह मनुष्य में स्वतन्त्र चिन्तन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न होती है। जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्य- स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव एक उत्तम निवेश (Investment) है।

तीसरा भाग: राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली- में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) तैयार होनी चाहिए। जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होनी चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

चौथा भाग- समानता के लिए शिक्षा - महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

पाँचवाँ भाग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन - शिशुओं की देखभाल की शिक्षा।

छठवाँ भाग - तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा की व्यवस्था पर बल।

सातवाँ भाग - शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना।

आठवाँ भाग - शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। वैज्ञानिक सोच एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा, भाषाओं के विकास के साथ विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर, स्वास्थ्य वर्धक क्रियाओं खेलकूद आदि पर बल, अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार।

नवें भाग - शिक्षकों के वेतनमान, सेवाशर्तों आदि को आकर्षक बनाने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुझाव दिये।

दसवें भाग :- शिक्षा के प्रबन्ध

ग्यारहवें भाग :- संसाधन एवं समीक्षा

बारहवें और अन्तिम भाग :- भविष्य में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्य योजना 1986 का दस्तावेज

मई 1986 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवम्बर 1986 में इसकी कार्य योजना (Plan of Action, POA) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों मे विभाजित है जिसका वर्णन संक्षेप में निम्न प्रकार है-

प्रथम भाग - पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा

शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल-विकास सेवा (Integrated Child Development Service) के पूर्व विद्यालय पक्ष (Pre-School Education Component) को सुदृढ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना (Early Child Education Scheme) में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने तथा दिवस परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ करने और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय भाग - प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना

प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये 1 किमी० की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल और 3 किमी० की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकतानुसार निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की बात कही गयी है और प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिये ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई है। ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री, खेल सामग्री, कम से

कम दो शिक्षकों की पूर्ति करने और इस सबके लिये धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

तृतीय भाग:- माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय:- माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए माध्यमिक स्कूल खोलने, नवोदय विद्यालय खोलने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

चतुर्थ भाग:- शिक्षा का व्यवसायीकरण:- प्रारंभ से ही कार्यानुभव पर बल देने, +2 के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यवसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया।

पंचम भाग:- उच्च शिक्षा:- उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों के लिये पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

छठे भाग:- मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा:- नये मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।

सातवें भाग:- ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों:- केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (Central Council of Rural Institutes) का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की एवं संस्थानों की पुनर्गठन।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

आठवें भाग:- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को मजबूत करने, अच्छे तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने।"

नौवें भाग:- प्रणाली को कार्यकारी बनाना - समस्याओं के लिए प्रशासन तथा शिक्षकों के लिये मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थानों मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है।

दसवें भाग:- उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन:- राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National Test Service) शुरू करना।

ग्यारवें भाग:- अनुसंधान तथा विकास - उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केन्द्रों की अधिसंरचना (Infrastructure) में सुधार करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसन्धान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है।

बारहवें भाग:- नारी समानता के लिये शिक्षा:- में बालिकाओं के लिये अलग से स्कूल या कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिये अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है।

तेरहवें भाग:- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा में विद्यालयों खोलने की प्राथमिकता देने, शिक्षकों की नियुक्ति में, छात्र-

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

चौदहवें भाग:- अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कॉलेज/योजने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। (8)

वालों की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

पन्द्रहवें भाग:- विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था करने की बात कही गई।

सोलहवें भाग:- प्रौढ़ शिक्षा- प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिये ग्रामों में सतत शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया।

सत्रहवें भाग:- स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया:- में राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है।

अठारहवें भाग:- मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार में केवल 10 तथा 12 कक्षाओं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा कराने, सतत मूल्यांकन करने और ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है, और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरु करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है।

उन्नीसवें भाग:- खेल तथा युवा:- में मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है।

बीसवें भाग:- भाषा विकास:- में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है।

इक्कीसवें भाग:- सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य- में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

बाइसवें भाग :- संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी — में शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं ओवर हेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है।

तेईसवें भाग :- शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण — में शिक्षक शिक्षा के सुधार हेतु प्रत्येक जिले में "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) स्थापित करने, अच्छे कॉलेजो को 'शिक्षक शिक्षा कॉलेजो' (CTE) स्थापित करने, अच्छे कॉलेजो को "उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों" (IASE) स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। और साथ ही "राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद" (NCTE) को स्वायत्ता दर्जा देने की बात कही गई है।

चौबीसवें एवं अन्तिम भाग :- शिक्षा का प्रबन्ध — में मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरु करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

डॉ० दिनेश सिंह पांडा (असि० प्रोफेसर बी०एड० विभाग)

पेपर : पाठ्यक्रम में भाषा

बी०एड० प्रथमवर्ष — 2019-2021

दिनांक — 7/05/2020

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner